न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 73/2015 (उदयपुर डिक्री)

1. अम्बालाल पिता श्री किशनलाल उर्फ घटका राव (मृतक) के बजाय :–

1/1. गोपाल पिता अम्बालाल जी राव (चौहान), निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्यामलाल पिता अम्बालाल जी राव (चौहान), निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती गीता देवी पत्नी अम्बालाल जी राव (चौहान), निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. सोहनलाल पिता दौलतराम जी राव, निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. घीसूलाल पिता दौलतराम जी राव, निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. लालूराम पिता दौलतराम जी राव, निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. नन्दलाल पिता दौलतराम जी राव, निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. कालूराम पिता प्रभूलाल जी राव, निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती हीरा बाई पुत्री प्रभूलाल जी राव, निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती कला बाई पुत्री प्रभूलाल जी राव, निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती गंगा बाई पत्नी प्रभूलाल जी राव, निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती नर्बदा बाई पत्नी दौलतराम जी राव, निवासी परमदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) नाम हटाया गया

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 03.09.2015 प्र.सं. 156/05

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री सुनील शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो॰सं॰ 1 से 6

———:::———

निर्णय **दिनांक 19–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट 1 से 8 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम परमदा में साबिक आराजी नंबर 62 मीन व 62/1 कुल किता 2 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार हैं। यह भूमि वादीगण के पिता दौलतराम जी को आवंटित की गयी थी तथा गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई तथा बाद में खातेदारी अधिकार भी मिल गये। गैर खातेदारी से नामान्तरकरण संख्या 129 व 130 है, जिससे दौलतराम जी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए तथा संवत् 2016 से 2019 तक की जमाबन्दी में व उसके बाद लगातार संवत् 2031 तक की जमाबन्दी में वह बतौर खातेदार दर्ज रहे, परन्तु सेटलमेन्ट वालों ने कथित भूमि अम्बालाल पिता किसना जी राव के नाम दर्ज कर दी, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट वालों को नहीं है। सेटलमेन्ट विभाग ने कुछ जमीन का बंटवाड़ा बताकर अम्बालाल अकेले के नाम दर्ज कर दी तथा कुछ जमीन वादी के पिता दौलतराम के खाते तथा कुछ जमीन शामलाती दर्ज कर दी। उक्त सारी कार्यवाही ऐब इनिसियो वोईड होकर बिना अधिकार के है। उक्त भूमियों से अम्बालाल जी का दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है। सेटलमेन्ट विभाग को तीन परिस्थितियों में ही इन्द्राज बदले का अधिकार है वह है सक्सेशन, ट्रान्सफर या कम्पीटेन्ट कोई का आदेश। प्रकरण में तीनों बातों में एक भी बात निहित नहीं है। अतएवं वादीगण को वाद पत्र की कलम संख्या 1 की भूमियों का खातेदार घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलाये जाने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि पर दोनों पक्ष काश्त कर रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी रिश्तेदार होकर एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी घर का मुखिया एवं बड़ा होने से भूमियां उसके अकेले के नाम पर दर्ज हो गयी। भू–प्रबन्ध के दौरान वास्तविकता को मद्देनजर रख वादी की स्वीकृति से ही खसरा परिशोधन में प्रतिवादी का नाम दर्ज किया गया, जिसका वादी ने कभी विरोध नहीं किया और करीब 23 वर्ष बाद अब आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। वादी का वाद विधि सम्मत आधारों पर नहीं होने से खारिज किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि वादी के पिता दौलतराम को आवंटित हुई थी तथा वो इसके खातेदार बन गये थे तथा तभी से उनका व वादीगण का कब्जा चला आ रहा है ? .....वादीगण
2. आया सेटलमेन्ट वालों ने बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि में से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते कर पूरी भूमि का बंटवाड़ा कर दिया जो गलत होकर निरस्त के काबिल है, जिसे वादीगण पुनः भूमि अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी हैं ? .....वादीगण
3. आया वाद पत्र के पैरा संख्या 7, 8, 9 में दर्ज आराजी का वादी अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करा कर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? .....वादीगण
4. आया दौलतराम व अम्बालाल तनिक रिश्तेदार होने से साथ रहने से उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम सेटलमेन्ट वालों ने चढ़ाई जो सही है ? .....प्रतिवादी
5. आया सेटलमेन्ट वालो के सर्कुलर से पाबन्द थे और इस आधार पर वे बंटवाड़ा कर सकते थे ? .....प्रतिवादी
6. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 03–09–2015 से वादी का वाद स्वीकार करते हुए विवादित भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया एवं स्थाई निषेधाज्ञा

जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–10–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या संख्या 7 व 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की दौराने कार्यवाही मृत्यु हो जाने से उसका नाम विलोपित करने का आदेश दिनांक 19–02–2018 को दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने मामले को समझा ही नहीं है तथा अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 में यह तथ्य अंकित किया कि पी.डब्ल्यू. 3 व 4 के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए, जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी सर्वथा गलत है। जबकि पी.डब्ल्यू. 3 व 4 बतौर साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए, न ही इनसे कोई जिरह हुई। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से 17 के बारे में अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से 32 तक के बारे में भी अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया, न ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ही अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय तनकियात कायम करने के बावजूद भी तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा परिशोधन का भी विवेचन नहीं किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियात का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन नहीं किया है, जो

आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के भार सिद्ध कुल 6 तनकियात कायम की गयी थी, हालांकि यह विधिक तथ्य है कि भू–प्रबन्ध विभाग को विरासत, विक्रय तथा सक्षम न्यायालय के आदेश के अतिरिक्त पूर्व प्रविष्टियों को ही दोहराना चाहिए, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात विरचित की गयी हैं, उनका तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है, जो जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है।

प्रकरण में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. 1998 पेज 163, आर.बी.जे. 1999 पेज 481, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1214, आर. आर.टी. 2008 (1) पेज 151, आर.बी.जे. 2006 पेज 205 एवं आर.बी.जे. 2010 पेज 285 प्रस्तुत की, जो सभी इस बात पर अवलम्बित हैं कि भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व प्रविष्टियों को ही दोहराना चाहिए, जो सम्मानीय होकर स्वीकृत हैं, परन्तु इस प्रकरण में नातिक निस्तारण के लिए जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियों पर उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर एवं सुनकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18–06–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मूर्ति मंदिर श्री कमलनाथ महादेवजी (तीन देवरी), उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, उदयपुर व अन्य बनाम **भारत संघ जरिये श्री महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर व अन्य**

अपील नं.....**73/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**05**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री प्रकाश खत्री/उत्तमप्रकाश आमेटा**.मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री अरूण जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।